न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 140/2015
वाद दायरी दिनांक : 17/11/2015
निर्णय दिनांक : 25-05-2018

रामचरण पुत्र देवा, जाति बलाई, निवासी लापोडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- वादी

बनाम

1. काना पुत्र देवा
2. घीसा पुत्र रामदेव
3. भूरी पत्नी भूरा
4. मंगल पुत्र रामदेव
5. रामेश्वर पुत्र रामदेव
6. बोदू पुत्र रामदेव
7. नौरत पुत्र रामदेव
8. किशन पुत्र रामदेव
9. मन्नादेवी पत्नी रामचरण

} समस्त जातियान बलाई, निवासीगण लापोडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

10. सुरेश पुत्र प्रकाशचन्द, जाति रैगर निवासी कांवट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राज0।
11. श्रीमान प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा दूदू जिला जयपुर, राज0।
12. श्रीमान प्रबन्धक महोदय, दी जयपुर सैन्ट्रल कॉ आपरेटिव बैंक, शाखा दूदू जिला जयपुर, राज0।
13. श्रीमान तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

वाद दुरूस्ती, इन्द्राज, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – **श्री नारायणसहाय पारीक**
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री लोकेन्द्र सिंह
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ल. 9
श्री हरीश कुमार साहू
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10

Scanned by CamScanner

श्री दिनेश शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 12
प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।
प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 25-05-2018

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम लापोड़िया तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जिसमें दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्त है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है। आराजीयात को निम्न प्रकार परिशिष्टानुसार दर्ज है –

परिशिष्ट–ए

खतौनी संख्या	खसरा नम्बर	विशेष विवरण
26	124	राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी रामचरण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी काना का 1/4 हिस्सा, घीसा का 1/6 हिस्सा, भूरी पत्नि भूरा का 1/6 हिस्सा, मंगल पुत्र रामदेव का 1/6 हिस्सा।
	125	
	127	
	128	
	1093	
	1095	
	1096	
	1098	
	1099	
	1100	
	1110	
	1113	
	1116	
	1118	
	कुल किता 14 कुल रकबा 3.9700 हैक्टेयर	

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर सत्यमेव जयते

परिशिष्ट–बी

खतौनी संख्या	खसरा नम्बर	विशेष विवरण
27	223	काना, रामचरण का 1/2 हिस्सा, भूरी पत्नि भूरा 1/ 6 हिस्सा, मंगल पुत्र रामदेव का 1/ 6 हिस्सा, रामेश्वर, बोदू, नोरत, किशन पुत्र रामदेव का 1/6 हिस्सा,
	कुल किता 1 कुल रकबा 0.5300 हैक्टेयर	

उपखण्ड अधिकारी दूदू

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–सी

खतौनी संख्या	खसरा नम्बर	विशेष विवरण
198	222	मन्नी देवी का 1/4 हिस्सा, रामचरण का 1/4 हिस्सा, भूरी पत्नि भूरा व मंगल पुत्र रामदेव का 1/3 हिस्सा, रामेश्वर, बोदू, नोरत, किशन पि0 रामदेव हिस्सा 1/6।
	226	
	कुल किता 02 कुल रकबा 2.58 हैक्टेयर	

परिशिष्ट–डी

खतौनी संख्या	खसरा नम्बर	विशेष विवरण
327	718	सुरेश पुत्र प्रकाशचन्द रैगर का 1/4 हिस्सा, रामचरण पुत्र देवा का 1/4 हिस्सा, भूरी पत्नी भूरा, घीसा, मंगल पि0 रामदेव का 1/2 हिस्सा।
	720	
	कुल किता 02 कुल रकबा 0.41 हैक्टेयर	

वादी एवं प्रतिवादीगण सह खातेदार है तथा मौके पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में विभाजन नहीं होने से आये दिन मेरे कोर को लेकर विवाद उत्पन्न होता है इस बाबत् वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण से विभाजन करने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा ही टालमटोल की योजना बनाते है जिससे वादी जो कि एक मात्र कृषि की आय पर निर्भर है तथा मौके पर राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहा है। वादी का नाम रामचरण पुत्र देवा है जबकि राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र पुत्र देवा हो गया है खतौनी संख्या 26,27,198,327, में रामचन्द्र पुत्र देवा दर्ज है जिसे दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया है एवं सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी, जिससे वाद दुरूस्त का पेश किया जाना लाजिमी हुआ हैं।

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री इस अमर फरमायी जावे कि वादी का हिस्सा बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स विभाजन किया जावे एवं लगान की फेटबन्दी अलहदा–अलहदा की जावे। वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवा के जगह रामचरण पुत्र देवा दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से

Scanned by CamScanner

पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से में बेदखल न स्वयं करे, न अन्य से करावे एवं नही बिना विभाजन विक्रय, रहन बैय, मुन्तकिल आदि करे

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 05/04/2016 को प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये। वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा0 दी0 पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 पर बहस सुनी गयी। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर लाल स्याही से अंकन किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से श्री हरीश कुमार साहू द्वारा अण्डरटेकिंग ली गयी। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 फोरमल पक्षकार हैं। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से पैरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया गया। तहसीलदार दूदू की ओर से नक्शे कुरेजात पेश हुये। अधिवक्ता वादी द्वारा गवाह वादी पी.डब्ल्यू 1 रामचरण, पी.डब्ल्यू 2 मंगलसिंह, पी.डब्ल्यू 3 मन्नादेवी के साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रस्तुत शपथ–पत्रों पर साक्ष्य वादी के बयान लिये गये। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया गया।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेज नकल जमाबन्दी एवं साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के अनुसार विवादित आराजीयात में वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवा दर्ज है, जबकि वादी ने अपना नाम रामचरण पत्र देवा बताकर इसी अनुसार दुरूस्ती चाही है। वादी के इस कथन की पुष्टि वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से होती है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा भी उक्त तथ्य की पुष्टि करते हुये यह कथन किया कि रामचन्द्र व रामचरण एक ही व्यक्ति है। सहवन से कुछ खातों में रामचन्द्र अंकित कर दिया गया। अतः यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र के स्थान पर रामचरण कर दिया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होगी। तहसीलदार दूदू द्वारा प्रस्तु नक्शे कुरेजात का अवलोकन अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा किया गया एवं तदनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अतः

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (seal)

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद अन्तिम डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात वाके ग्राम लापोडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर में दर्ज वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवा को हजफ करते हुये रामचरण पुत्र देवा दर्ज किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है :–

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा है.में
1.	काना पुत्र देवा हि. 13/155, रामचरण पुत्र देवा, मन्नादेवी ध.प. रामचरण हि.142/155 जाति बलाई राहिन दी ज.सै.का.बैंक शाखा दूदू	223 मिन	0.16
		226	1.39
		कुल किता 2	कुल रकबा 1.55 हैक्टेयर
2.	रामेश्वर, बोदू, नौरत, किशन पि. रामदेव जाति बलाई सा. सनोदिया खातेदार	222 मि.	0.15
		223	0.37
		कुल किता 02	कुल रकबा 0.52है.
3.	भूरी पत्नी स्व0 भूरा, मंगल पुत्र रामदेव, जाति बलाई सा0 देह राहिन एसबीबीजे शाखा दूदू	222	1.04
		कुल किता 1	कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर
4.	सुरेश पुत्र प्रकाशचन्द जाति रैगर हि.1/2 सा0 कांवट, तह. श्री माधोपुर जिला सीकर बिना रहन रामचरण पुत्र देवा हि.1/2 जाति बलाई सा. देह राहिन दी ज.सै.कौ. बैंक शाखा दूदू जिला जयपुर	718	0.22
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर
5.	भूरी पत्नी भूरा, घीसा, मंगल पुत्र रामदेव जाति बलाई	720	0.19
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.19 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

6.	कान, रामचरण पि. देवा हि.ब.राहिन दी.ज.सै.कौ.बैंक शाखा दूदू	124	1.54
		1098	0.05
		1099	0.20
		1100	0.06
		1110	0.10
		1095 मिन	0.03
		कुल किता 06	कुल रकबा 1.98 हेक्टेयर
7.	घीसा पुत्र रामदेव हि. 1/3 राहिन दी ज.सै.कौ.बैंक शाखा दूदू भूरी पत्नी भूरा, मंगल पुत्र रामदेव हि. 2/3 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा दूदू जाति बलाई	124 मिन	0.27
		125	0.26
		127	0.57
		128	0.47
		1093	0.13
		1095 मिन	0.06
		1096	0.05
		1113	0.11
		1116	0.04
		1118	0.03
		कुल किता 10	कुल रकबा 1.99 हैक्टेयर

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25-05-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

मुद्रा उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी दूदू

...पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31...12

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू
इजलास श्री त्रिलोकचन्द मीणा (R.A.S.)

रामचरण पुत्र देवा बलाई नि० लापोडिया बनाम 1. काना पुत्र देवा, 2. हीरा पुत्र रामदेव, 3. भूरी w/o भूरा, 4. मंगल पुत्र रामदेव जातियान बलाई नि० लापोडिया

दावा बावत दुरुस्ती इन्द्राज बाबत

मुकदमा नं. 140/2015 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री नारायण सहाय पारीक (पी.ओ.) 9.3.2013

व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री वीरेन्द्र सिंह एड.

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ...

अत: वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर बिवारते आराजीयात कांडे ग्राम लापोडिया तहसील दूदू जिला जयपुर मे दर्ज वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवा को हजफ करते हुये रामचरण पुत्र देवा दर्ज किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :—

मुवलिग .... बावत ....

...मय सूद नशरह .... फीसदी ... ता आज ...

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

आज बतारीख दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 05 सन 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर, सत्यमेव जयते)

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा ....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

(2)

1. नाम खातेदार - काना पुत्र डेवा हि. 13/155, रामचरण पुत्र डेवा, मन्नीदेवी ध.प. रामचरण हि. 142/155 जाति बलाई रहिन डी.ज.सै.क्रा. बैंक शाखा दूदू ख.न. 223 किता रकबा 0.16 हे०, ख.न.-226 रकबा 1.39 हे० कुल किता - 2 कुल रकबा 1.55 हे०,

2. नाम खातेदार - रामेश्वर, बोदू, नौरत, किशन पि. रामदेव जाति बलाई सा. सनोदिया खातेदार ख.न. 222 कि. रकबा 0.15 हे०, ख.न. 223 रकबा 0.37 हे० कुल किता - 2 कुल रकबा 0.52 हे०

3. नाम खातेदार - भूरी ध.प., कि. भूरना, मांगल पुत्र रामदेव, जाति बलाई सा. देह रहिन एस बी बी जे शाखा दूदू ख.न. 222 रकबा 1.04 हे०।

4. सुरेश पुत्र प्रकाशचन्द जाति रेगर हि. 1/2 सा. कांवट तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर बिना रहन रामचरण पुत्र डेवा हि. 1/2 जाति बलाई सा. देह रहिन डी.ज.सै. कौ० बैंक शाखा दूदू ख.न. 718 रकबा 0.22 हे०।

5. भूरी पत्नि भूरा, घीसा, मंगल पुत्र रामदेव जाति बलाई ख.न. 720 रकबा 0.19 हे०।

6. काना, रामचरण पि. डेवा हि. बा रहिन डी.ज.सै. कौ. बैंक शाखा दूदू ख.न. 124 रकबा 1.54 हे०, ख.न. 1098 रकबा 0.05 हे०, ख.न. 1099 रकबा 0.20 हे०, ख.न. 1100 रकबा 0.06 हे० ख.न. 1110 रकबा 0.10 हे०, ख.न. 1095 किता रकबा 0.03 हे० कुल किता 06 कुल रकबा 1.98 हे०।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

7. धीसा पुत्र रामदेव हि. 1/3 साकिन डी.के.बैंक
शाखा 33 भूरी पाडि भूरा, मंगल पुत्र रामदेव
हि. 2/3 साकिन एसबीबीजे शाखा 33 जाति
बलाई ख.न. 124 मिन रकबा 0.27 हे., ख.न.
125 रकबा 0.26 हे., ख.न. 127 रकबा 0.57 हे.,
ख.न. 128 रकबा 0.47 हे., ख.न. 1093 रकबा 0.13 हे.
ख.न. 1095 मिन रकबा 0.06 हे., ख.न. 1096 रकबा
0.05 हे., ख.न. 1113 रकबा 0.11 हे., ख.न. 1116
रकबा 0.04 हे., ख.नं 1118 रकबा 0.03 हे. कुल
किता 10 कुल रकबा 1.99 हेक्टेयर।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
दूदू जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू